अध्याय II
बकायों की वसूली (सीमा शुल्क)

सीमा शुल्क आयातित या निर्यात माल के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 या धारा 16 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि भुगतान किए गए/ उदग्रहित शुल्क को देयता से कम पाया जाता है तब आयातक या निर्यातक से शुल्क की कम उदगृहित/अनुद्ग्रहीत या कम भुगतान की गई/भुगतान न की गई राशि का भुगतान करना अपेक्षित है। इस संदर्भ में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अधिकारियों को आयातक/निर्यातक से कम उदगृहित/उदगृहित न हुई राशि की वसूली के लिए मांग सह कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करने की शक्तियां देता है। तब एससीएन का उचित अधिकारी द्वारा अधिनिर्णयन कर दिया जाता है। मूल-मे-आदेश (ओआईओज), या अपील में आदेशों (ओआईए), अधिकरण आदेशों तथा न्यायालय आदेशों के आधार पर विभाग के पक्ष में मांग की पुष्टि के कारण आयातक/निर्यातक से वसूली योग्य राशि बकाया हो गई है।

राजस्व के बकाया निम्नलिखित के परिणामस्वरूप सृजित होते है।

- निर्णायक प्राधिकरण द्वारा मांग की पुष्टि
- अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील का निरस्तीकरण
- पूर्व-जमा की शर्त के साथ स्थगन आवेदन देना
- ट्रिब्युनल, उच्च न्यायालओं तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में आदेश

2.1 सांविधिक प्रावधान

सीमा शुल्क में बकाया की वसूली के साथ डील करने वाले मुख्य सांविधिक प्रावधान निम्नानुसार है:-

(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 ऐसी किसी की वसूली का प्रावधान करती है जिसका उद्ग्रहण नहीं हुआ है या कम उद्ग्रहण हुआ है या गलती से रिफंड हुआ है या यदि किसी देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, आशिंक भुगतान किया गया है या मांग जारी करके और आयातक/निर्यातक का अनुसरण करके गलती से रिफंड हुआ है।

(ii) यदि किसी मामले में धारा 28 के अंतर्गत वसूली नहीं हुई है, तब धारा 142 विभाग को बलपूर्वक कार्रवाई करने की शक्ति देती है जैसाकि चूककर्ता को देय किसी राशि में कटौती करना, किसी चल या अचल सम्पति पर नियंत्रण करना या देयताओं की वसूली हेतु मामले को जिला कलेक्टर को भेजना यदि यह भूमि राजस्व का बकाया हो।

(iii) बकाया वसूली की प्रक्रिया, चूककर्ता आयातक/निर्यातक के प्रति मांग की पुष्टि होने के साथ शुरू हो जाती तथा इसमे कई अपील फोरम शामिल होती है जिसमें आयातक/निर्यातक के साथ-साथ विभाग की अपील के लिए जा सकता है। बकाया वसूली की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रवाह संचित्र में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: बकाया वसूली की प्रकिया

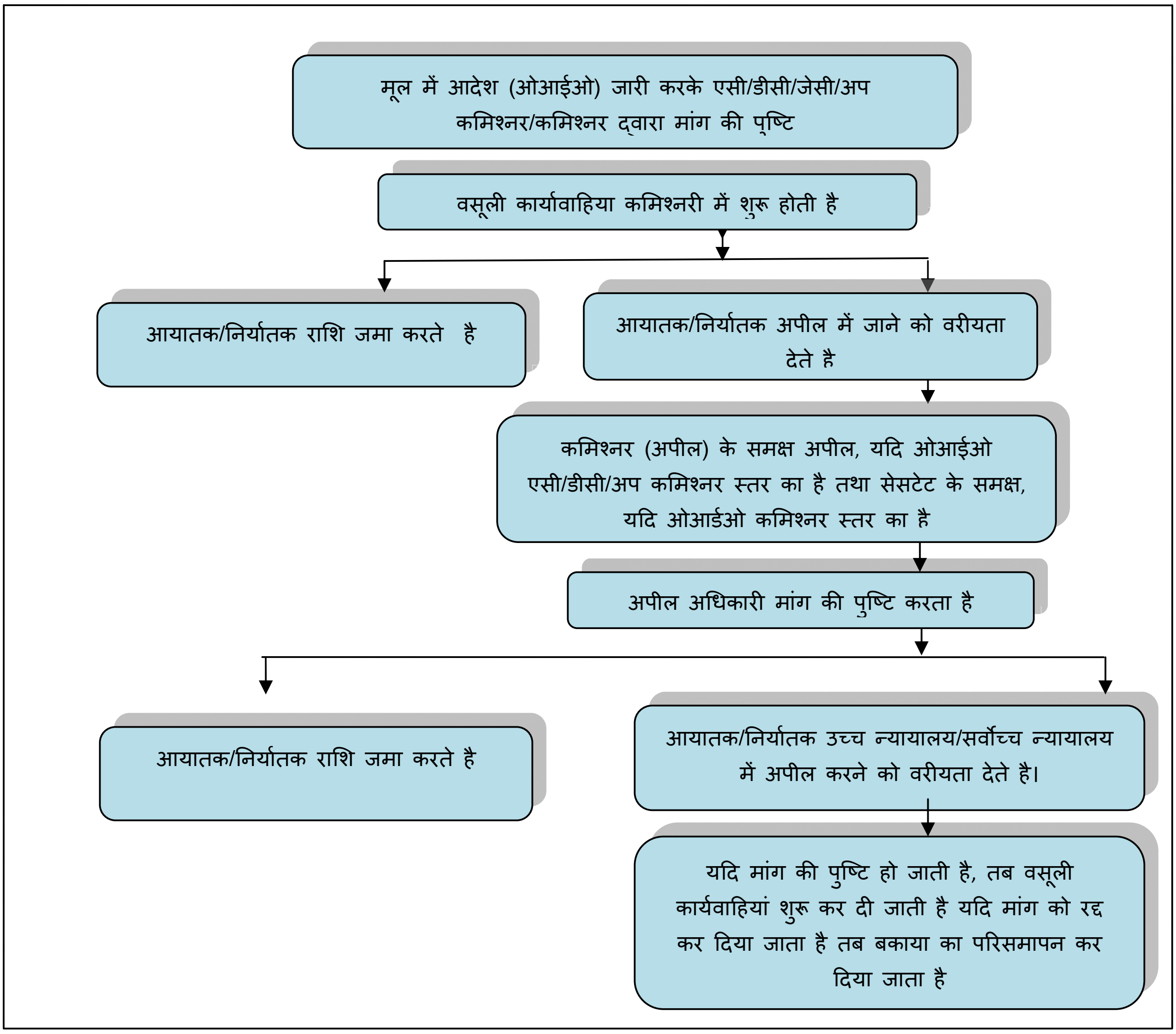

2.2 बकाया का वर्गीकरण

बकाया को मुख्यत: दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि प्राप्य एवं गैर प्राप्य बकाया। सभी रूके बकाया गैर प्राप्य है और प्राप्य बकाया जैसा कि नीचे चार्ट-2 में वर्णन किया गया है आगे प्राप्त बकाया को नियंत्रित गैर-नियंत्रित बट्टे खाते में डालने योग्य के तैयार के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।

चार्ट 2: बकाया का वर्गीकरण

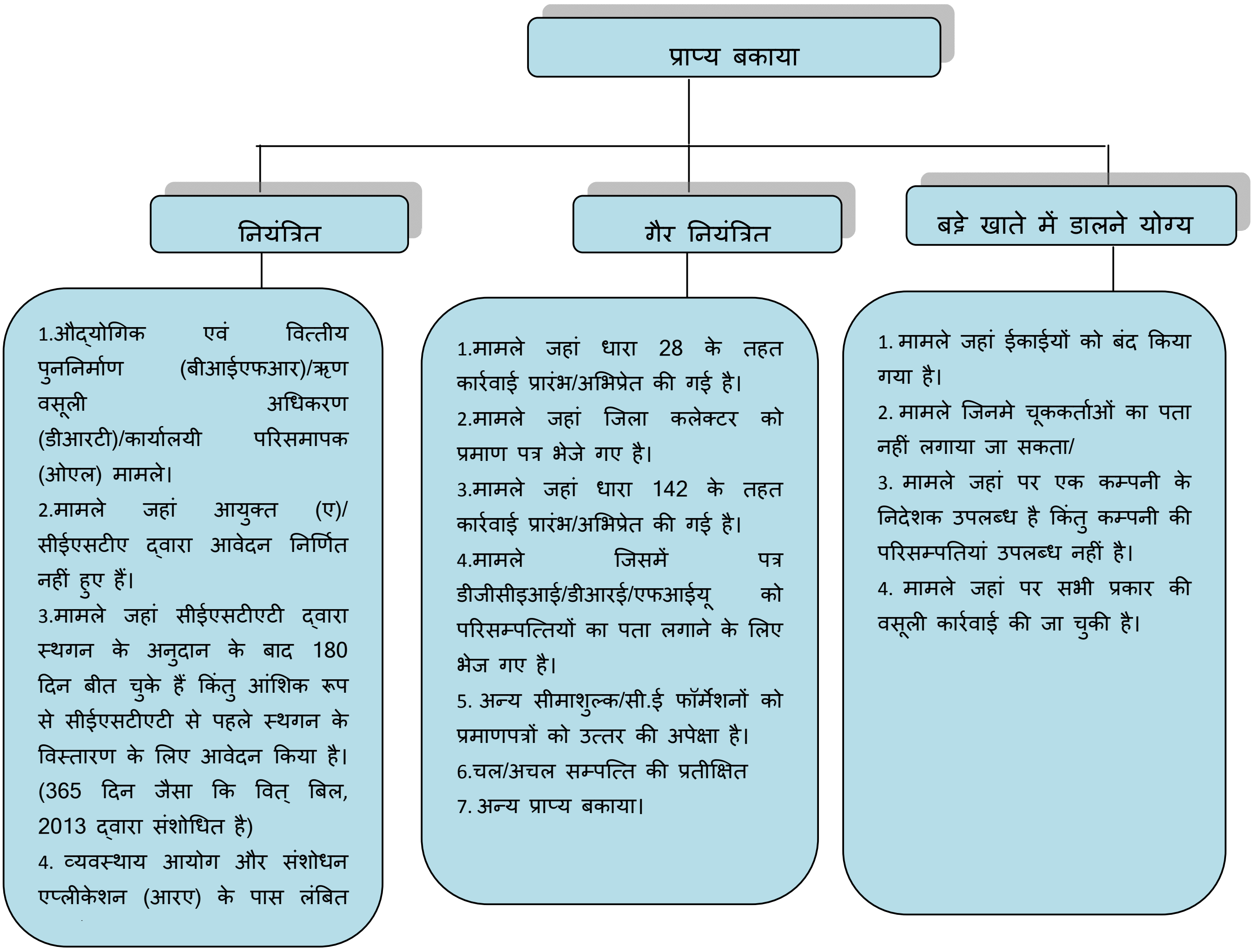

2.3 सांगठनिक ढांचा

सीबीईसी में बकाया की वसूली का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपा जाता है और जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है मुख्य आयुक्त (कर बकाया वसूली) के नेतृत्व में एक केंद्रीकृत श्रमबल द्वारा निगरानी की जाती है।

क. क्षेत्रीय कार्यालय:

क. **कमिश्नरियों:** बकाया की वसूली समग्र रूप से सीमाशुल्क कमिश्नरियों का क्षेत्राधिकार है। उन्हें कमिश्नरी के भीतर वसूली सेल कार्यान्वयन के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त स्थगन आदेशों की रिहाई, सीईएसटीएटी/न्यायिक मामलों की जल्द सुनवाई, चूककर्ताओं की सम्पत्ति की कुर्की पर कार्रवाई करने और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण (बीआईएफआर)/ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/कार्यालयी परिसमापक (ओएल) आदि के लिए बोर्ड में लम्बित मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई और मासिक प्रगति रिपोर्टों को देखे और अनुवर्ती कार्रवाई करने द्वारा वसूली सेल के निष्पादन और प्रगति की निगरानी की कार्रवाई करनी चाहिए।

ख. **वसूली सेल:** प्रत्येक कमिश्नरी में एक वसूली सेल होती है जिसका मुख्य कार्य चूककर्ताओं, कुर्की और सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ताओं की सम्पत्ति नोटिस देना और बकाया के संबंध में मुख्य आयुक्त को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

ख. मुख्य आयुक्त- केन्द्रीकृत कर बकाया वसूली (टीएआर)

बोर्ड ने अगस्त 2004में एक केंद्रीकृत श्रमबल का गठन किया था जिसका नेतृत्व दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बडोदरा और नागपुर पर छह नोडल अधिकारियों (कर बकाया वसूली) के साथ नई दिल्ली पर स्थित मुख्य आयुक्त (कर बकाया वसूली) द्वारा किया जाता है श्रमबल को निम्न जिम्मेदारी सौंपी गई है:

- राजस्व बकाया की सीमा की समीक्षा
- वसूली के लिए कूटनीति का गठन एवं कार्यान्वयन
- सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों की निगरानी

राजस्व बकाया, सीसी (टीएआर) की संवर्धित वसूली ने जून 2015 में सभी मुख्य आयुक्तों को बकाया की वसूलियों के लिए कार्य योजना प्रसारित की थी। कार्ययोजना में निम्न कूटनीति सम्मिलित है:-

क. कमिश्नरी स्तर पर सभी बकायों की संवीक्षा और सभी उचित कार्यवाही को प्रारंभ करना

ख. जहां चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सका, कमिश्नरियों द्वारा मामले को ऐसे चूककर्ता द्वारा स्वगत चल/अचल सम्पत्ति के विवरण एकत्रित करने के लिए आय कर, डीजीएफटी, कम्पनियों के रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य राजस्व विभागों आदि जैसे अन्य विभागों में मामले को उठाना चाहिए और अनुवर्ती कार्रवाई बंद करना और ऐसे मामलों में बकायों की वसूली के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्यायन को सुनिश्चित करना चाहिए।

ग. सभी मामलों के विवरणों को डालने के लिए डाटाबेस तैयार करना जहां सीमाशुल्क अधिनियम के 142 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

अगस्त 2015 से, सीसी (टीएआर) के कार्य एवं जिम्मेदारियों महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को हस्तांरित की गई है।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विनिर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निर्धारित करती है।

i. राजस्व के बकाया की सीमा तथा प्रवृति

ii. सांविधिक प्रावधानों के और बकाया वसूली विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों साथ अनुपालन का स्तर

iii. अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता

2.5 लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा ने मुख्य आयुक्त (टीएआर) दिल्ली, नॉडल अधिकारियों (टीएआर) मुम्बई, नागपुर और सीमाशुल्क देखने वाले कुल 51 कमिश्नरियों में 31 कमिश्नरी के कार्यालय के अभिलेखों की जांच की जैसा कि **अनुलग्नक 3** में विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा ने निहित अवधि 2013-14 से 2015-16 थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि जबकि लेखापरीक्षितअवधि (वि.व. 2012-13 से 2015-16) के दौरान राजस्व बकाया बढ़ गया था, शेषों की वसूली इस अवधि में बहुत अधिक घट गई थी। कमिश्नरियों के बड़े प्रतिशत ने वसूली उद्देश्यों को पूरा करने में कमी को प्रतिवेदित किया जो कि वसूली सेल के मूल आदेश के विलम्ब अथवा गैर अनुमोदन के दृष्टांतों, धारा 142 के तहत् कार्रवाई करने में अपर्याप्तता और विलम्ब और विभाग द्वारा चूककर्ताओं का पता लगाने में निष्फलता द्वारा संयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा ने अपीलीय प्राधिकरणों को सूचना प्रदान करने में विलम्ब और अपील मामलों की गैर-निगरानी के मामले देखें। राजस्व बकाया को उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से, लेखापरीक्षा ने शुल्क वापसी योजना के तहत् विदेशी मुद्रा की गैर-उगाही से संबंधित और निर्यात बाध्यता प्रवाह प्रामणपत्रों का पता लगाये किना मामलों का गलत निर्णयन देखा गया।

इन अवलोकनों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.6 सीमा शुल्क में राजस्व बकाया

2.6.1 राजस्व बकाया का सीमा

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान सीमाशुल्क के राजस्व बकायों की सीमा और उनकी वसूली का वर्णन नीचे दिया गया है।

तालिका 2.1: 2012-13 से 2014-15 के दौरान सीमाशुल्क के राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूले गए	वर्ष के अन्त में लम्बित बकाया			
			रोके गए	रोके नहीं गए		
				नियंत्रत	अनियंत्रित	
					वसूलीयोग्य	वसूलीयोग्य नहीं
2012-13	12103.40	3477.20	5107.36	3485.43	1730.77	1779.84
2013-14	17986.38	3835.71	8290.67	5264.56	2765.00	1666.15
2014-15	14358.64*	949.65	7286.75	2843.07	4173.60	55.22

स्रोत: पत्र सी.स. सीसी (टीएआर) 48/2015-18015 दिनांक 22.2.2016 महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएस) द्वारा

*कुल राजस्व बकायों में त्रुटि पत्र दिनांक फरवरी 2016, डीजीपीएस द्वारा प्रदान की गई सूचना में देखी गई थी।

सीमाशुल्क का राजस्व बकाया वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 12103 करोड़ से ₹ 14359 करोड़ तक बढ़ गया था। तथापि, उसी अवधि में राजस्व के

बकायों में ₹ 3836 करोड़ से ₹ 950 करोड़ तक लगभग 75 प्रतिशत की भारी कमी दर्शायी।

31 चयनित कमिश्नरियों[11] में से17 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया नीचे दिए गए है।

तालिका 2.2: 2013-14 से 2015-16 के दौरान परीक्षण जांच किए गए 17 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूले गए	वर्ष के अन्त में लम्बित बकाया			
			रोके गए	रोके नहीं गए		
				नियंत्रत	अनियंत्रित	
					वसूलीयोग्य	वसूलीयोग्य नहीं
2013-14	2354.18	547.50	540.91	1345.49	396.38	97.37
2014-15	3666.96	2361.68	1012.46	2169.31	432.77	95.68
2015-16	3804.32	763.71	787.52	2234.55	678.69	103.73

स्रोत: चयनित कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना

यह देखा गया था कि वर्ष के अंत पर सीमा शुल्क का बकाया राजस्व भी इन कमिश्नरियों में 2013-14 की तुलनामें 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा। 2013-14 की तुलना में रोके गए बकाया में 2015-16 में महत्वपूर्ण ढंग से बढ़े।

17 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया ने दर्शाया कि :

- 11 कमिश्नरियों, दिल्ली (निवारक), कोची, आईसीडी बैंगलुरू, मैंगलोर, गोवा, जोधपुर, सीई कोजीकोड, पश्चिम बंगाल (निवारक), विशाखापट्नम, सिलिगुढ़ी (निवारक) और शिलॉग (निवारक) में 2013-14 की तुलना में वसूली 2015-16 में घट गई थी।
- 8 कमिश्नरियों, दिल्ली (हवाई अड्डा), हैदराबाद, सीई त्रिवेंद्रम, जामनगर, कोची (निवारक), पश्चिम बंगाल (निवारक), विशाखापटनम और सीई कोजी कोड, में 2013-14 की तुलना मे 2015-16 में राजस्व बकायों का विलम्बन 100 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया था। लेखापरीक्षा ने चार कमिश्नरियों नामश: सीई त्रिवेन्द्रम (755 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल-निवारक (581 प्रतिशत), कोच-निवारक (458 प्रतिशत) और दिल्ली- हवाई अड्डा (317

[11] केवल 17 कमिश्नरियों ने लेखापरीक्षा की अवधि सम्पूर्ण डाटा प्रस्तुत किया।

प्रतिशत) में राजस्व बकाया में बहुत अधिक वृद्धि देखी। तथापि दो कमिश्नरियों जोकि हैं सीई कोची और जोधपुर में राजस्व बकायों के विलम्ब को घटाया।

- छह कमिश्नरियों जोकि है 2014-15 के दौरान आईसीडी बैंगलुरू, सीई कोची, सीई त्रिवेन्द्रम और गोवा, 2015-16 के दौरान कोची-निवारक और शिलॉग निवारक में पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक रोके गए बकाया थे।
- 4 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया जो कि है निवारक (दिल्ली), जामनगर,मैंगलोर और विशाखापटनम ने मार्च 2016 तक 17 कमिश्नरियों में कुल राजस्व बकायों में 63 प्रतिशत का हिसाब दिया था।

2.7 बकायों की श्रेणियां

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के तहत मार्च 2015 के अंत पर अखिल भारतीय राजस्व बकाया निम्न प्रकार से थे:

तालिका: 2.3: मार्च 2015 तक श्रेणी वार अखिल भारतीय राजस्व बकाया

(₹.करोड़ में)

क्र. सं.	बकाया श्रेणी	मार्च 2015 मामलों की संख्या	राशि	बकाया प्रतिशत
1	**नियंत्रित बकाया**	7947	17087	80.16
2	**अनियंत्रित बकाया**	16819	2772	13.00
3	**बट्टे खाते में डाले गए**	8201	1457	6.84
	कुल जोड़	32967	21316	100

स्रोत: पत्र सी सं. सीसी (टीएआर) 48/2015-1805 दिनांक 22.2.2016 में महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन

जैसाकि कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 80 प्रतिशत राजस्व बकाया मार्च 2015 तक नियंत्रित बकाया थे। यह संकेत करता है कि इन बकायों की वसूली संबंधित प्राधिकरणों (अपीलीय प्राधिकरणों/ बीआईएफआर/ऋण वसूली अधिकरण/कार्यालीय परिसमपाक आदि) द्वारा नियंत्रित किये गए थे और यह कि जल्द निपटान के लिए विभाग को प्रबलता पूर्वक इन मामलों को इन प्राधिकरणों के साथ जारी करने चाहिए थे। विभागीय स्तर पर बंद अनियंत्रित बकाया और बट्टे खाते में डाले गए मामलों की ₹ 4229 करोड़ (20 प्रतिशत) थी। मामलों के परिमाण के अनुसार,

मामलों की अधिकतम संख्या जोकि 76 प्रतिशत थी अनियंत्रित बकायों की श्रेणी में थे।

2.8 अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित बकायों का आयु-वार विलम्बन

31 चयनित कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च 2016 तक विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित राजस्व के बकायों का आयु-वार विवरण नीचे दिए गए अनुसार है:-

तालिका: 2.4: मार्च 2016 तक अपीलीय प्राधिकरण में राजस्व बकाया का आयुवार विलम्बन

(₹ करोड़ में)

इनमें लंबित अपील	1 वर्ष या उससे कम (i)		1 से 2 वर्ष (ii)		2 से 5 वर्ष (iii)		5 से 10 वर्ष (iv)		10 वर्ष से अधिक (v)		कुल	
	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
सर्वोच्च न्यायलय	28	27.63	20	0.01	26	7.55	22	9.52	40	4.16	136	48.87
उच्च न्यायालय	520	265.47	91	106.21	147	25.31	263	120.12	86	213.67	1107	730.78
सैसटैट	699	2567.28	521	1798.45	801	332.59	681	265.76	47	12.04	2749	4976.12
कमि. (अपील)	697	76.94	344	105.31	238	57.85	53	16.3	17	0.49	1349	256.89
जे.एस.(आरए)	4	0.13	52	3.69	60	2.76	4	0.21	0	0	120	6.79
कुल	**1948**	**2937.45**	**1028**	**2013.67**	**1272**	**426.06**	**1023**	**411.91**	**190**	**230.36**	**5461**	**6019.45**
पांच वर्ष से उपर के मामलों का अर्धयोग्य (iv + v) = 1213 मामले (₹ 642.27 करोड़)												

स्रोत: चयनित कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ₹ 642.27 करोड़ (10.67 प्रतिशत के राजस्व बकाया वाले 1213 मामले पांच वर्षो से अधिक तक वसूली के लिए लम्बित थे।

2.9 बकाया की वसूली के लिए सांविधिक प्रावधानों, नियमों पद्धतियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन

बकाया की वसूली क्षेत्राधिकार आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी है। कमिश्नरी के तहत् वसूली सेल कार्यान्वयन के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय परिपत्र (1997) दिनांक 15/2/1997 के अनुसार, सरकारी देय राशि की वसूली के उद्देश्य के लिए प्रत्येक सीमाशुल्क कमिश्नरी में

एक ''वसूली सेल'' (आरसी) बनाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष सीसी (टीएआर)[12] द्वारा प्रत्येक कमिश्नरी के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। वसूली सेल में निम्न कमियां देखी गई।

2.9.1 वसूली सेल द्वारा वसूली लक्ष्य की गैर प्राप्ति

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए प्राप्ति की तुलना में राजस्व बकाया के सादृश्य में लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 कमिश्नरियों में से क्रमश: 14, 18 और 23 कमिश्नरियों के वसूली सेल में निम्न कमियां देखी गई।

तालिका 2.5: राजस्व बकायों के लक्ष्य एवं प्राप्ति का सात

वर्ष	कमिश्नरियों संख्या जिन्होनें लक्ष्य प्राप्ति की	कमिश्नरियों की संख्या जहां कमी देखी गई	कमी की रेंज (प्रतिशत में)
2013-14	13[13]	14(52 %)	19-100
2014-15	10[14]	18(64 %)	23-100
2015-16	8	23(74 %)	7-100

स्रोत: चयनित आयुक्तों द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई सूचना

जैसाकि देखा जा सकता है, कमिश्नरियों का प्रतिशत जो लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे, 2013-14 से 2015-16 के दौरान 52 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक बढ़ गया।

इंगित किए जाने पर, कमिश्नरियों ने कहा कि स्टाफ की कमी, अपीलीय प्राधिकरण के साथ बहुत अधिक विलम्बन आदि विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि वर्तमान श्रमशक्ति को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने कुछ मामले दर्शाये जहां नियम एवं पद्धतियों के गैर-अनुपालन के कारण कार्रवाई की कमी कारण जैसा कि नीचे व्याख्या की गई है बकाया का जमाव हुआ।

---

[12] सीसी (टीएआर) पत्र सी.स. सीसी (टीएआर) 71/टेक/बजट/2014/4556 दिनांक 18.6.15

[13] आई सी.डी.टी.के.डी., लुधियाना, पोर्ट कोलकता, एसीसी,चैन्नई के अतिरिक्त

[14] आई सी.डी.टी.के.डी., लुधियाना, सीई कोचि के अतिरिक्त

2.9.2 वसूली सेल को ऑर्डर-इन-ओरिजनल (ओआईओज) का गैर समर्थन

ओआईओज जैसे ही पारित[15] हो आर्डर-इन-ओरिजनल (ओ-आई-ओज) वसूली सेल द्वारा समर्थित होने चाहिए। वसूली सेल का मुख्य कार्य चूककर्ताओं को नोटिस भेजना, सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ताओं की सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री और बकाया के संबंध में मुख्य आयुक्त को अधिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात[16] कमिश्नरियों में 11.96 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 2005-2015 के दौरान परित किए गए 110 ओआईओज़ वसूली सेल द्वारा समर्थित नहीं थे।

वसूली सेल को ओआईओ के गैर अनुमोदन के कारण न केवल वसूली प्रक्रिया मे विलम्ब हुआ बल्कि कमिश्नरियों के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाया।

चार[17] कमिश्नरियों (सीमाशुल्क और सी. उत्पाद शुल्क सहित) यह भी यह देखा गया कि हालॉकि वसूली सेल बनाई गई थी किंतु मामलों का अनुसरण/संबंधित फाइलों का अनुरक्षण केवल डिवीज़नल स्तर पर किया जा रहा था जो कि दर्शाता है कि कमिश्नरियाँ पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं थीं।

2.10 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 के तहत कार्यवाही

2.10.1 निर्धारित माँग धारा 142(1)(क) के प्रति वापसी की राशि का गैर-समायोजन

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142(1)(क) कहती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा भुगतेय कोई भी राशि का भुगतान नहीं होता है तो उचित अधिकारी स्वंय कर सकता है या किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को देय कोई भी राशि से काटने का आदेश दे सकता है जोकि उचित अधिकारी या सीमाशुल्क का ऐसा कोई अन्य अधिकारी के नियंत्रण में हो।

आयात II कमिश्नरी एनसीएच मुम्बई, मेसर्स उत्तम गलावा स्टील लि. के मामले में दिनांक 30.04.2014 ओआईओ में ₹ 2.23 करोड़ की राशि का

---

[15] कोलकाता कमिश्नरी स्थायी आदेश सं. 21/व दिनांक 30 जुलाई 1997

[16] कानपुर, मेरठ, नोएड़ा, पटना, जोधपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद

[17] कानपुर, मेरठ, नोएड़ा, पटना

अवकल शुल्क सुनिश्चित किया। हालॉकि पार्टी ने कमिश्नरी को (मार्च 2015) 2.68 करोड़ की माँग के प्रति 2.70 करोड़ की प्रतिदाय राशि को विभाजित करने का अनुरोध किया था, विभाग ने सितम्बर 2016 तक माँग के प्रति प्रतिदाय राशि को विभाजित नहीं किया था, फलस्वरूप बकाया की उगाही को धारा 142(1)(क) के तहत एक अवसर का त्याग किया जो कि लंबित रहा।

2.10.2 निरोध सुचनाओं धारा 142(1)(बी) को अनुचित रूप से जारी करना

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142(1)(बी) कहती है कि सीमाशुल्क सहायक आयुक्त वसूल सकता है या सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी को ऐसे व्यक्ति के किसी माल को रोकने और बिक्री द्वारा भुगतेय राशि की वसूली के आदेश दे सकता है जो कि सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के नियंत्रण में है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि विरोध सुचनाएँ हस्तरूप से जारी की जा रही है और कार्रवाई के लिए सभी मुख्य कमिश्नरियों को प्रेषित की गई है। शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रणाली में कोई विवरण नहीं डाले गए। विरोध सूचनाएँ आईईसी कोड के विवरणों के बिना जारी किए गए, हालाँकि आयात/निर्यात/प्रतिगम/कमी का व्यापार सम्पूर्ण चक्र आईईसी कोड पर आधारित है। विरोध सूचना पर की गई कार्रवाई के लिए कोई फीडबैक लेखापरीक्षा के दौरान देखा नहीं गया।

ऐसे मामलों में जहाँ नोटिस जारी किए गए थे पार्टियाँ विरोध सूचना के जारी करने के बाद निर्यात में सक्रिय रूप से सम्मिलित थी जो कि संकेत करता है कि सीमाशुल्क विभाग की उनके माल तक पहुँच थी और वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:

दो कमिश्नरियों में जो कि है आईसीडी टीकेडी (निर्यात) और एनसीएच (निर्यात) दिल्ली, को 26.02 लाख की राशि के राजस्व बकाया वाले सात दलों के प्रति विरोध सूचनाएँ जारी की गई थी हालॉकि दल कमिश्नरियों द्वारा निर्यात कर रही थी।

इसके, अतिरिक्त उन मामलों में जहाँ विभाग ने माल को जब्त कर लिया है इन्हें बकाया की उगाही के लिए मुक्त नहीं किया गया था। कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

दो कमिश्नरियों में जो कि है त्रिवेन्द्रम और कांडला लेखापरीक्षा ने देखा कि 4 मामलों सहित 95.34 लाख की वसूली चार से ग्यारह वर्ष बीच जाने के बाद भी जब्त किए गए माल की बिक्री द्वारा उगाहे नहीं गए थे और माल को अप्रयुक्त छोड़े दिया गया जबकि उनकी बकाया की क्षतिपूर्ति के लिए पद्धति के अनुसार नीलामी की जा सकती थी। विभग द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप वसूली में आगे विलम्ब हुआ।

विभाग द्वारा धारा 142(1)(बी) के तहत कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप बकायों की गैर-वसूली/संचयन हुआ।

इंगित किए जाने पर, एनसीएच (निर्यात) प्राधिकरणों ने चार मामलों के संबंध में निर्यात मॉड्यूल चेतावनी जारी की (सितम्बर 2016) और उत्तर दिया की पार्टी द्वारा अपील की फाइलिंग के कारण दो मामलों में चेतावनी को हटा दिया गया।

मुख्य आयुक्त (एनसीएच) नई दिल्ली ने बताया (नवंबर 2016) कि आईईसी कोड को शामिल करने के साथ-साथ अवरोधन नोटिस के संबंध में लेखापरीक्षा को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और आईसी नंबर वाले चूककर्ताओं की निगरानी भी ई-बीआरसी माडयूल के माध्यम से की जा रही है, जिनके प्रति बकाए लम्बित है। अधिकांश मामलों में जहां अवरोधन नोटिस जारी किए जा चुके है उनमें ईआईडी प्रणाली में अलर्ट शामिल किया गया है और इल मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2017)।

2.10.3 धारा 142(1)(सी) के तहत अनुचित प्रमाणपत्र

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142(1)(सी) कहती है कि यदि ऐसे व्यक्ति से राशि की वसूली नहीं की जा सकती जैसा कि प्रमाणपत्र के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में कहा गया है, ज़िला प्राधिकरणों/सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

25[18] कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 422 मामलों में 240.70 करोड़ की राशि का राजस्व बकाया था तथापि पार्टी द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई थी किंतु प्रमाणित कार्रवाई नहीं की गई थी।

422 मामलों में से ₹ 13.34 करोड़ का राजस्व बकाया वाले 52 मामलों में गई थी किंतु वहाँ ओ-आईओ जारी होने की तिथि से पर 39 मामलों में 1-3 वर्षों का 10 मामलों में 3-6 वर्षों का और 3 मामलों में 6 वर्षों से अधिक का समय अंतराल था।

समय सीमा की अनुपस्थिति में, सरकारी देय के जमा के लिए पार्टी को नोटिस/पत्र जारी करने में लेखापरीक्षा द्वारा कोई समरूपता नहीं देखी गई। यहाँ तक विरोध नोटिस और/अथवा प्रमाणपत्र थी बिना कोई समय सीमा का अनुसरण किए कमिश्नरियों द्वारा जारी किए गए थे।

कांडला आयुक्ताल्य ने बताया (नवम्बर 2016) कि एक मामलें में आयूक्त (अपील) द्वारा मांग को दरकिरनार कर दिया गया है और दूसरे मामलें में रोक लगा दी गई है तबकि एक मामले में रूपये 7.60 लाख की वसूली की गई । बाकी मामलों में जहां भी अपील अवधि समाप्त हो गई है वहां पार्टी को सरकारी बकाए के भुगतान के लिए पत्र लिखे गए हैं । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2017) ।

2.11 चूककर्ताओं का पता लगाना और बकाया को बट्टे खाते में डालना

मंत्रालय ने बकायों की वसूली (परिपत्र 55/2004 दिनांक 19.8.2004 की और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों के समायोजन, सरल बनाने, अनुश्रवण और निरीक्षण के लिए एक केन्द्रीकृत श्रम बल का गठन (अगस्त 2004) किया जिसके ध्यान दिया कि यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई चल अथवा अचल परिसम्पत्तियेां का पता लगाया जा सकता है, चुककर्ताओं के सभी ज्ञान पतों पर पूछताछ को पूर्ण करेंगे। पड़ोसी व्यक्तियो, व्यापारिक प्रतिद्वंदी एवं अन्य संबंधित सरकारी विभागों, चाहे चूककर्ता का कोई अन्य व्यापार का स्थान

[18] एसीसी बैंगलुरू, दिल्ली-एनसीएच (निर्यात), एसीसी-मुम्बई अहमदाबाद, एआईयू कोलकाता, चेन्नै समुद्र, गोवा, आईसीडी, बैंगलूरू, आईसीडी-टीकेडी (निर्यात), आईजीआई दिल्ली, आयात-II मुम्बई, जयपुर, जोधपुर, कांदला, कानपुर, कोची, लखनऊ-निवारक, मैंगलोर, मेरठ, नोएडा, पटना, निवारण-डब्ल्यूबी, निवारक-दिल्ली, त्रिवेंद्रम और तुतिकोरीन

भारत में कहीं भी या बैंक खातों आदि के बारे में, ऐसे स्थानों की विस्तृत कार्रवाई के लिए न्यायशील जाँच की जायेगी।

बोर्ड ने पत्र एफ सं. 296/34/2008-सीएक्स-9 दिनांक 20.03.2008 में पद्धतियों को परिचालित किया जिनका बकाया की वसूली के संबंध में अनुसरण किया जाना था जिनका वसूली कठिन हो गई है।

जून 2015 में मुख्य आयुक्त (टीएआर) द्वारा परिचालित कार्ययोजना पर भी चूककर्ताओं से वसूली को सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों में मामले को उठाने पर जोर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने तथापि इन निर्देशों के अनुपालन में निम्न कमियाँ देखी:-

2.11.1 चूककर्ताओं का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा अकर्मणयता

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन में, चूककर्ताओं का पता लगाने के लिए कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है।

23[19] कमिश्नरियों में परीक्षण जाँच ने दर्शाया कि ₹ 261.44 करोड़ के राजस्व बकायावाले "चुकर्ताओं जिनका पता न लगा सके" के 330 मामलों में से ₹ 223.35 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 258 मामलों में या तो सम्पत्ति के स्वामित्व का पता लगाने के लिए कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया या लेखापरीक्षा को दी गई फाइल में ऐसे भौतिक सत्यापनों का कोई विवरण नहीं दिया गया।

केवल कानपुर कमिश्नरी में विभिन्न एजेंसियों को मामलों के लिए मामले बताने के लिए पत्र लिखे गए। बाकि 22 कमिश्नरियों ने या तो मामला केवल कुछ एजेंसियों के पास भेजा या किसी भी एजेंसी को नहीं भेजा।

दो कमिश्नरियों में जो कि है पटना और जेएनसीएच, मुम्बई लेखापरीक्षा ने देखा कि 1.07 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 39 मामलों के बकाया फाइले को पता नहीं लगाया जा सकता था। इनमें से, 30 मामले 1975 से 1984 तक की अवधि से

[19] दिल्ली-एनसीएच (निर्यात), एसीसी-मुम्बई, एसीसी-बैंगलुरू, चेन्नै समुद्र, गोवा, हैदराबाद, आईसीसी बैंगलुरू, आईसीडी-टीकेडी (निर्यात), जोधपुर, कांदला, कानपुर, लखनऊ-निवारक, कोलकाता हवाईअड्डा, कोलकाता-पत्तन, लुधियाना, मैंगलोर, मेरठ, निवारक-दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, तुतिकोरिन और विशाखापट्नम

संबंधित थे। चुँकि अधिनिर्णयन की तिथि से बहुत अधिक समय बीत चुका है यहाँ पर राजस्व के बकाया की धूमिल संभावना थी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मामलों को विभिन्न एजेंसियों में भेजने के लिए, माल के स्वामित्व का पता लगाने परिसरों के भौतिक सत्यापन, आईईसी को चेतावनी देने, अन्य एजेंसियों जैसे कि डीजीएफटी, बैंक, डाक खाना, समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए व्यापार संघ के लिए कोई समय सीमा/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार निर्धारित समय सीमा और कमिश्नरियों द्वारा कार्रवाई की कमी की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बकायों की गैर-वसूली हुई।

2.11.2 चूकर्ताओं के प्रति ऋण वसूली अधिकरण के पहले आवेदन की गैर-फाइलिंग

कोची कमिश्नरी में लेखापरीक्षा ने देखा कि मेसर्स के.के इम्पेक्स, एलूवा के विरूद्ध मामला ₹ 2.11 करोड़ के शुल्क और एकल स्वामी को ₹ 2.11 करोड़ और ₹ 50 लाख के दण्ड को सुनिश्चित करते हुए दिनाँक 3 मई 2011 आर्डर इन ओरिजनल सं. 3/2011 में अधिनिर्णायक था।

मुकदमेबजी के बाद, धारा 142(1) सी के तहत कार्रवाई (ii) चूककर्ता के विरूद्ध 13 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। इसी बीच चूककर्ता ने कम्पनी बंद कर दी थी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अरनाकुलम शाखा ने फर्मो की संपत्ति की कुर्की ली और अरनाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वास्तविक आवेदन फाइल किया। चुँकि कम्पनी की संम्पततियों की कुर्की की गई थी, विभाग राजस्व के बकायों के लिए ऋण वसूली अधिकरण के सक्षम आवेदन फाइल करने में असफल रहा।

विभाग ने उत्तर दिया कि मामलों में कानूनी मत प्राप्त करने के लिए कानूनी विभाग को एक कार्यालयी नोट प्रोषित किया।

2.11.3 बट्टे खाते में डालने के लिए कमेटी का गठन न करना

बोर्ड परिपत्र 946/07/2011 दिनांक 1.6.2011 अनुबंध करता कि गैर वसूली योग्य बकायों को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावों की जाँच और प्रदत्त वित्तीय शक्तियों (बोर्ड के परिपत्र दिनांक 21.9.1990) के अनुसार सक्षम

प्राधिकारी को सुपात्र मामले संस्तुत करने के लिए मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों की एक तीन सदस्यों की समित का गठन किया जाऐगा।

परीक्षण जाँच किए गए 31 कमिश्नरियों में बट्टे खाते में डाले जाने के लिए मामलों की तुलना में यह देखा गया था कि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान, बट्टे खाते में डालने के लिए 821, 770 और 971 क्रमानुसार अभिज्ञात किए गए थे। तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान कोई मामला बट्टे खाते में डाला गया। यहाँ तक कि सीबीईसी परिपत्र आईबिड द्वारा आवश्यक बट्टे खाते में डालने के लिए समिति का गठन भी इन कमश्नरियों द्वारा नहीं किया गया था।

तालिका 2.6: बट्टे खाते में डालने के लिए राजस्व बकायों का सार

(₹ लाख में)

वर्ष	**कमिश्नरियों की संख्या**		**इन कमिश्नरियों में राजस्व बकाया**	**बट्टे खाते में डालने योग्य**			**कुल राजस्व बकाया मामलों का कुल प्रतिशत**
		सं.	**राशि**	**बट्टे खाते में डालने के लिए मामलों की सं.**	**राशि**	**प्रतिशत**	
2013-14	10[20]	3250	208753.50	821	9735.59	25.26 %	5.7 %
2014-15	11[21]	5801	264898.1	770	9568	13.27 %	3.61 %
2015-16	13[22]	10437	378752.5	971	14988.02	9.30 %	3.96 %

स्रोत: चयनित कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना।

इसे इंगित किए गए जाने पर, सीमाशुल्क कमिश्नरी कोची, त्रिवेन्द्रम और मेंगलोर में, स्वीकार किया कि राजस्व बकायों को बट्टे खाते में डालने में डालने के लिए किसी कमिटी का गठन नहीं किया था। अन्य कमिश्नरियों से उत्तर प्रतीक्षित है।

[20]दिल्ली-निवारक, मैंगलोर, जामनगर, जोधपुर, कोची, कोची-निवारक, सीई त्रिवेन्द्रम, विशाखापट्नम, सिलिगुढ़ी-निवारक, गोवा

[21]दिल्ली-निवारक, दिल्ली-हवाईअड्डा, मैंगलोर, जोधपुर, कोची, कोची-निवारक, सीई, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, विशाखापट्नम, सिलिगुड़ी -निवारक, शिलांग-निवारक

[22]दिल्ली-निवारक, दिल्ली-हवाईअड्डा, आईसीडी-टीकेडी, मैंगलोर, जोधपुर, कोची-निवारक, सीई त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, विशाखापट्नम, सिलिगुढ़ी-निवारक, शिलांग-निवारक, प.ब.-निवारक

2.12 अपील मामले

मानक प्रचालन पद्धतियों (एसओपी) (नवम्बर 2015) के अनुसार, अपीलीय फोरम में मुकदमेंबाज़ी पर, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा माँगे गए विवरण और सूचना को शीध्र की प्रस्तुत करना चाहिए। अपीलों की आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए और विभाग को प्रभावी ढंग से प्रत्येक पेशी/चरण पर प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लघंन करते हुए पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है।

2.12.1 अपीलीय अधिकारी के विवरण प्रस्तुत करने में विलंब

पाँच[23] कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने कमिश्नर (अपील)/सेसटैट द्वारा मांगे गये विवरण स्पष्टीकरण विभाग ने देर से प्रस्तुत किये और एक मामले के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। कोच्ची कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि एक मामले में विलंब अत्यधिक दस्तावेजीकरण के कारण हुआ था।

2.12.2 मामलों का समूहीकरण

दिनांक 19.8.2004 के बोर्ड के परिपत्र सं. 55/2004 के अनुसार मुख्य विभागीय प्रतिनिधियों (सीडीआर) को काफी राजस्व सहित उक्त मामलों पर मामलों के समूहीकरण को सुनियोजित करना चाहिए और प्राथमिकता पर निपटान के लिए प्राधिकरण को अनुरोध करना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, दो कमिश्नियों (तूतीकोरिन, अहमदाबाद) में सेसटैट के पास लंबित उक्त मामलों के इकट्ठा होना पाया गया था। तूतीकोरिन कमिश्नरी में, यह देखा गया कि सैसटैट के पास ₹ 4.45 करोड़ के राजस्व बकाया सहित 48 मामले लंबित हैं। यद्यपि, विभाग ने प्राथमिकता आधार पर निपटान हेतु इन मामलों के समूहीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर, तूतीकोरिन कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि मामलों का समूहीकरण किया जाएगा।

[23] एसीसी मुम्बई, चेन्नै-समुद्र, जेएनसीएच, कोच्ची और तूतीकोरिन

2.12.3 कमिश्नर (अपील) द्वारा नये आदेश जारी करते हुए धारा 128ए (3) के अंतर्गत प्रावधान की अनुपालना

11 मई 2001 से लागू उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 128ए(3) के संशोधन द्वारा, कमिश्नर (अपील) नये अधिनिर्णयन (नये सिरे से) या निर्णय के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी को मामले को अब वापस नहीं भेज सकता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पाद शुल्क (अपील) कमिश्नर, मुम्बई ने उपरोक्त प्रावधान के प्रति 2015-16 के दौरान 38[24] मामलों में नये सिरे से आदेश जारी किये थे। इसमें न केवल अधिनिर्णयन आगे तक विलंबित होगा बल्कि राजस्व बकाया का लंबन बढ़ जाएगा।

2.12.4 अपील मामलों में पूर्व जमा का कम भूगतान

उत्पाद शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129ई अग्रलिखित दरों पर अपील फाईल करते समय मांगे गये शुल्क और या उद्ग्राही जुर्माने की प्रतिशतता के रूप में पूर्व जमा करने को आवश्यक बनाती है:

- शुल्क और/या जुर्माने के 7.5 प्रतिशत पूर्व जमा पर कमिश्नर (अपील) के समक्ष एक अपील फाईल की गई।
- शुल्क और/या जुर्माने के 10 प्रतिशत पूर्व जमा पर न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील फाईल की।

तीन कमिश्नरियों[25] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कमिश्नर (अपील)/सेसटैट में अपील फाईल करते समय 7.5 प्रतिशत/10 प्रतिशत की दर पर आवश्यक जमा के बिना 2014 के दौरान 34 मामलों में अपील फाईल की गई, जिसके कारण ₹ 33.19 लाख की पूर्व-जमा राशि का कम भुगतान किया गया।

2.12.5 अपील मामलों में पूर्व जमा के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 यह दर्शाती है कि सेनवेट क्रेडिट निम्नलिखित के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है-

क) किसी तैयार उत्पाद पर उत्पाद शुल्क; या

[24] मार्च 2016 की एमपीआर के अनुसार

[25] चेन्नै-समुद्र, जोधपूर, लुधियाना

ख) इनपुटस पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि यदि ऐसे इनपुटस को इस प्रकार या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किये जाने के बाद हटा दिया गया है; या

ग) पूँजीगत माल पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि यदि इस प्रकार ऐसे पूँजीगत माल को हटाया गया है; या

घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 16 के उप नियम (2) के अंतर्गत राशि; या

ड़) किसी आऊट पुट सेवा पर सेवा कर।

दो अपीलों[26] मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कमिश्नर (अपील) चंड़ीगढ़ ने अनियमित रूप से ₹ 0.34 लाख के पूर्व जमा के प्रति सेनवेट क्रेडिट को डेबिट किया। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता आवश्यक पूर्व-जमा के प्रति क्रेडिट का समायोजन शामिल नहीं करता।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

2.13 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

निगरानी

2.13.1 विदेशी विनियम वसूली की निगरानी की कमी के कारण ड्राबैक मामलों में बकाया ₹ 46.73 करोड़ के बकाया का संचयन

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने ड्राबैक योजना[27] के अंतर्गत निर्यातित खेपों के संबंध में विदेशी विनियम की गैर-वसूली के मामले में की गई कार्रवाई की कमी के संबंध में चिंता व्यक्त की।

दिनांक 2 फरवरी 2009 के बोर्ड के परिपत्र सं. 5/2009 निर्यात आय प्रेषण की निगरानी के लिए प्रत्येक कमिश्नरी में ड्राबैक सैल के सृजन का परामर्श दिया। विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम (एफइएमए) 1999 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर निर्यात आय की गैर-वसूली के मामले में, ड्राबैक की वसूली की

[26] दि. 14.05.2015 की ओआईओ 29/आईसीडी/एडीसी/एलडीएच/2015 और 15.05.2015

[27] पीएसी तेहरवीं लोक सभा, इक्सठवीं रिपोर्ट और दिनांक 18 जनवरी (उप-पैरा 2) के बोर्ड के परिपत्र एफ सं. 609/119/2011-डीबीके

जानी है जैसी कि ड्राबैक नियमावली 1995 के नियम 16ए के अंतर्गत परिकल्पना की गई है।

दिनांक 18.1.2011 के परिपत्र वित्त मंत्रालय ने ड्राबैक की वसूली के लिए विधिवत और समयबद्ध रूप से विदेशी विनियम मामलों के गैर-वसूली के निर्णय के लिए उत्पाद शुल्क कमिश्नरी ने निर्देश दिये।

लेखापरीक्षा में मौजूदा प्रावधानों/निर्देशों की और दो कमिश्नरियों में पीएसी द्वारा जताई गई चिंताओं की अननुपालना देखी गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

आईसीडी तुगलकाबाद की लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित 75 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 5.85 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 19 मामलों में, नोटिस/निर्णय लेने के मामलों में ड्राबैक सैल होने के बावजूद में काफी विलंब हुआ। इनमें से, निर्धारित तिथि से एससीएन के जारी करने में विभाग द्वारा विलंब 4 मामलों में 1-4 वर्ष, 12 मामलों में 4-8 वर्ष और 3 मामलों में 8 वर्षों से अधिक था।

मुम्बई (एसीसी-निर्यात) में, ₹ 40.88 करोड़ के राजस्व बकाया ड्राबैक मामलों में विदेशी विनियम की गैर-वसूली के कारण 919 मामलों में लंबित था और इन मामलोंका अधिनिर्णयन काफी विलंब के बाद किया गया।

तथ्य यह है कि विधिवत, समबद्धता के लिए एमओएफ निर्देश (एफ सं. 609/59/2012-डीबीके दिनांक 27.11.2015) के बावजूद ड्राबैक की गैर-वसूली के मामले पाये गये और पूर्णत: प्राप्ति हेतु वसूली/गैर-वसूली के विवरण फीड करने और विदेशी विनियम की गैर-वसूली के मामलों में ब्याज सहित ड्राबैक की वसूली की सांविधिक आवश्यकता के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की।

2.13.2 इओडीसी[28] स्थिति की निगरानी के बिना अग्रिम लाइसेंस मामलों का अधिनिर्णयन

डीजीएफटी द्वारा शुल्क छूट/कटौती योजना तैयार की जाती है और उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों में ग्रुप 7 द्वारा शुल्क कटौती/छूट योजनाओं का कार्यान्वयन/निगरानी की जाती है।

[28] निर्यात दायित्व शोधन प्रमाणपत्र

प्रक्रिया संस्क.। की हैंडबुक के अनुसार, अग्रिम लाइसेंस धारकों को इओडीसी प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक लाइसेसिंग प्राधिकरण (आरएलए) को निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होते हैं। आरएलए द्वारा जारी किये गये इओडीसी पोस्ट/इडीआई द्वारा उत्पाद शुल्क को सौंपी जाती है और डीजीएफटी की वेबसाइट में भी प्रकाशित की जाती है। इओ को पूर्ण न करने के मामले में, आयातक को ब्याज सहित उत्पाद शुल्क जमा कराना आवश्यक होता है।

एसीसी बैंगलुरू और एसी (निर्यात) दिल्ली में, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने निर्यात दायित्व पूरा न करने के लिए 2013-14 के दौरान पाँच मामलों में निर्णय लिया और ₹ 1 करोड़ का शुल्क/जुर्माना लगाया गया। महानिदेशक, विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) की वैबसाईट से इन लाइसैंस की इओडीसी स्थिति के क्रॉस-चैक करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि ये लाइसैंस पहले ही प्राप्त किये जा चुके थे और इओडीसी अधिनिर्णयन से पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

लाइसैंसिंग प्राधिकरण के समय सहयोग की कमी के साथ-साथ डीजीएफटी से प्राप्त इओडीसी पर निगरानी में और समयबद्ध कार्रवाई करने में विफलता के कारण राजस्व बकाया का अनावाश्यक संचयन हुआ, जिसकी वसूली अनिश्चित थी। इसके बावजूद, अनावश्यक अभियोग और अपीलीय प्राधिकारी के बोझ से बचा जा सकता था।

2.13.3 अपील मामलों की निगरानी न करना

दिनांक 19.08.2004 के मंत्रालय परिपत्र सं. 55/2004 ने परिकल्पित किया है कि क्षेत्रीय मुख्य कमिश्नर सैसटैट पहले लंबित ₹ 1 करोड से अधिक के सभी बकाया की पहचान करेगा जहां विभाग के पास मजबूत मामला है और सफलता के तर्कसंगत अवसर है। सभी ऐसे मामलों के विवरण संबंधित नोडल अधिकारी को भेजे जाएंगे जो इन मामलों की नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करेगा कि जहां भी आवश्यकता हो, आवश्यक आवेदन आऊट ऑफ टर्न सुनवाई और पूर्व निर्णयों के लिए सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं और इस उद्देश्य के लिए वह क्षेत्राधिकारी मुख्य कमिश्नर ओर संबंधित मुख्य विभागीय प्रतिनिधि (सीडीआर) के बीच सहयोग करेगा। कार्यान्वयन योजना की संवीक्षा नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक महीने में की जाएगी ताकि किसी त्रुटि या विलंब का तुरंत समाधान किया जा सके।

मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) की संवीक्षा से पता चला कि 14[29] कमिश्नरियों ने नियमित रूप से अपील/स्थगन मामलों की निगरानी नहीं की; पूर्व सुनवाई/स्थगन लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। 5[30] कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 180 मामलों, जिनको सेसटैट/कमिश्नर (अपील) द्वारा निपटाया गया था, वे अब भी सेसटैट में लंबित दिखाये गये थे।

उत्पाद शुल्क कमिश्नर (निवारण), अमृतसर में, यह पाया गया कि ₹ 21.50 लाख के राजस्व बकाया वाले तीन मामलों में 1987 और 1990 के दौरान सेसटैट द्वारा स्थगन दिया गया था और 26 से 29 से अधिक वर्षों के बाद भी लंबित है।

विभाग ने उत्तर दिया कि वर्तमान में, विभिनन अपीलीय प्राधिकरणों जैसे सेसटैट आदि के पास लंबित इतने पुराने मामलों की वर्तमान स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई कार्यात्मक प्रोग्राम/सॉफ्टवेयर नहीं है।

नोयडा कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि पार्टियों को अपील मामलों की मौजूदा स्थिति प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे पता चलता है कि विभाग के पास अपील किये गये मामलों की अद्यतित स्थिति जानने का कोई तंत्र नहीं है।

गोवा कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग ने विभागीय अपील की वापसी के लिए मार्च 2016 में सेसटैट में मिश्रित आवेदन फाईल किये थे, यद्यपि सैसटैट नवम्बर 2015 में पहले ही मामले का निर्णय कर चुका था। इससे यह ज्ञात होता है कि विभाग नवम्बर 2015 में जारी किये गये सेसटैट आदेश के प्रति सजग है।

---

[29] अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नै समुद्र, गोवा, हैदराबाद, जोधपुर, जेएनसीएच, कोच्ची, मेरठ, मुंबई (आयात-II, निर्यात) नोयडा, तुतीकोरिन, विशाखापटनम

[30] एसीसी बैंगलुरू, चेन्नै (6+6), आईसीडी बैंगलुरू, मैंगलोर (121) और तुतीकोरिन (6+41)

2.14 आंतरिक नियंत्रण

2.14.1 पूर्व जमा के भुगतान के लिए डाटा बेस/रिकार्ड का गैर-अनुरक्षण

दिनांक 5 जनवरी 2015 के परिपत्र सं. 993/17/14-सीएक्स के अनुसार, प्रत्येक कमिश्नरी की समीक्षा सैल को निर्दिष्ट प्रोफार्मा में किये गये पूर्व-जमा के रिकॉर्ड का डाटा अनुरक्षित करता होता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 31 कमिश्नरियों में से 20[31] कमिश्नरियों में, पूर्व जमा किया गया डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया है।

सीई और उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, त्रिवेंद्रम ने उत्तर दिया कि अदा किये गये पूर्व-जमा कमिश्नर (अपील) के पास रखे गये हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कमिश्नरी को भी किये गये पूर्व-जमा के डाटाबेस रखने आवश्यक होते हैं।

एसीसी मुम्बई ने उत्तर दिया कि जनवरी 2015 से पंजिका तैयार की जानी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिपत्र के अनुसार पंजिका तैयार नहीं की गई है। लुधियाना कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मई 2016) कि आयुक्तालय ने जनवरी 2016 के बाद से तैयार किये गये रिकार्डों को ध्यान में रखते हुए 18 मई 2016 से विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा पूर्व जमा के रिकॉर्ड के डाटाबेस अनुरक्षित करने आरंभ कर दिये हैं और उक्त के अद्यतन की प्रक्रिया भी प्रगति अधीन हैं।

पूर्व-जमा हेतु अलग पंजिका/डाटाबेस के गैर-अनुरक्षण के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा था कि सभी अपीलकर्ताओं ने पूर्व जमा की आवश्यक राशि जमा की थी।

2.14.2 मंत्रालय/बोर्ड को प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट में गलत-सूचना देना

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राजस्व बकाया के समेकित आंकड़ें एमपीआर द्वारा मंत्रालय/बोर्ड को सूचित किये गये थे। यद्यपि नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 13 कमिश्नरियों में ₹ 1296.52 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 740 मामले

[31] अहमदाबाद, एसीसी बैंगलोर, दिल्ली (निवारण, एयरपोर्ट, एनसीएच-निर्यात, आइसीडी (निर्यात)-टीकेडी), गोवा, आईसीडी, बैंगलोर, जोधपुर, कांडला, कोच्ची, कोलकाता पोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट, लुधियाना मैंगलोर, मुम्बई (इंपोर्ट-II, जेएनसीएच) नोयडा और त्रिवेंद्रम

मंत्रालय/बोर्ड को प्रस्तुत की गई एमपीआर में सूचित (4 मामलों की ओवर-रिपोर्टिंग सहित) नहीं किये गये थे, जिसमें रिपोर्टिंग तंत्र की विश्वसनीयता पर संदेह होता है।

- कांडला कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में काफी अधिक विभिन्नता पाई गई और 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए एमपीआर में दर्शाई गई।
- अहमदाबाद, कांडला, जोधपुर, मुम्बई (आयात-II, एसीसी, जेएनसीएच) और गोवा कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वसूली पंजिका नियमित रूप से अनुरक्षित/अद्यतित नहीं है।
- पटना कमिश्नरी में एमपीआर के विभिन्न विवरण में अंतर देखा गया था।
- दिल्ली जोन के अंतर्गत छः कमिश्नरियों[32] में कमिश्नर (अपील के पास लंबित रखे गये एमपीआर में ₹ 173.37 करोड़ के 231 मामलों का पता चला। यद्यपि, कमिश्नर (अपील) द्वारा सूचित किये गये संबंधित आंकडों में ₹ 185.62 करोड़ के 1710 मामले थे। इस प्रकार, ₹ 12.25 करोड़ वाले 1479 मामलों में महत्वपूर्ण अंतर था। इससे जोन में संप्रेषण की कमी का भी पता चलता है।
- आयात कमिश्नरी, मुम्बई ने कमिश्नर (टीएआर) को सूचित किया (2015) कि ₹ 44.18 करोड़ राशि वाले 1045[33] मामले 'बट्टे खाते में डालने के लिए उपयुक्त' थे। यद्यपि, कमिश्नरी द्वारा मार्च 2016 के एमपीआर में 'बट्टे खाते में डालने के लिए उपयुक्त' के रूप में कोई मामला नहीं दर्शाया गया था।

2.15 निष्कर्ष

उत्पाद शुल्क में राजस्व के बकाया लगभग 50 प्रतिशत तक जा चुके थे परंतु बकाया की वसूली को बढ़ते हुए बकाया के बावजूद यथोचित महत्व नहीं दिया जा रहा था। राजस्व बकाया की वसूली अधिक बकाया की सीमित श्रेणी राशि में सुरक्षित रखा गया था जो यह दर्शाती है कि विभाग को संबंधित प्राधिकरणों

---

[32] दिल्ली-निवारक, एनसीएच आयात दिल्ली, आईसीडी-टीकेडी (आयात), आइसीडी-टीकेडी (निर्यात, आईसीडी-पीपीजी, एयरपोर्ट-दिल्ली

[33] कमिश्नर (टीएआर) के पत्र के अनुसार

के साथ इन मामलों पर विचार करना चाहिए था। विशेष संस्थागत प्रबंधन जैसे वसूली सैल और टाक्स फोर्स के सृजन ने राजस्व बकाया की वसूली की सीमा को सुधारने पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला। वास्तव में, कुछ कमिश्नरियों में, ये बकाया लेखापरीक्षा में कवर की गई तीन वर्ष की अवधि के दौरान कई गुणा बढ़ चुके हैं।

बकाया की निगरानी के संबंध में बोर्ड के विस्तृत निर्देश, प्रभावी कदम उठाने जैसे पूर्व निपटान के लिए अनुरोध, मामलों का समूहीकरण और चूककर्ताओं की ट्रेसिंग पर तुरंत कार्रवाई तथा सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए अपील को अंतिम रूप देना या स्थगन लेना आदि की अनुपालना नहीं की गई।

31 कमिश्नरियों की नमूना जांच से लेखापरीक्षा ने ₹ 1297 करोड़ वाले सुव्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण कमियों सहित ₹ 566 करोड़ मूल्य वाले मामले पाये। ड्राबैक मामलों की गैर-निगरानी के कारण बकाया या संचयन, इओडीसी स्थिति की निगरानी के बिना अग्रिम लाइसेंस मामलों के गलत अधिनिर्णय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक रिपोर्ट में कमियां अविश्वसनीय निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लक्षण हैं।